न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
14/2022/प्रा.पत्र/2022	05.04.2022	05.05.2022

मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री मूलचन्द चेलानी पुत्र स्व. श्री होतचन्द चेलानी एफ.बी.ओ. मैसर्स लक्ष्मी प्रोविजन स्टोर मुख्य डाकघर के पास सवाई माधोपुर रोड़ टोंक जिला टोंक राज.

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26की उप धारा (2) (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उपस्थित।
2–अप्रार्थी मूलचन्द चेलानी स्वयं उपस्थित।

:–**निर्णय**–: **दिनांक 05.05.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.01.2022 को 02:12 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स लक्ष्मी प्रोविजन स्टोर मुख्य डाकघर के पास सवाई माधोपुर रोड़ टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ श्री मूलचन्द चेलानी पुत्र स्व. श्री होतचन्द चेलानी उपस्थित थे, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर स्वयं को मैसर्स लक्ष्मी प्रोविजन स्टोर मुख्य डाकघर के पास सवाई माधोपुर रोड़ टोंक जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर आवेदक को खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, शक्कर, घी, दाल व तेल तथा अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **खजूर सलेक्ट लजीज ब्राण्ड (Dates Select Lazeez Brand)** 250–250 ग्राम के 13 नग रखे हुये थे, जिसे देखने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर श्री मूलचन्द चेलानी को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, एफ.बी.ओ. को सूचित कर दो प्रतियों में विक्रेता श्री मूलचन्द चेलानी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **खजूर सलेक्ट लजीज ब्राण्ड (Dates Select Lazeez Brand)** को वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किए जा रहे हैं, दुकान की रैक में रखे हुये 13 नग 250–250 ग्राम

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मूल पैक में से 250–250 ग्राम के 4 नग मूल पैक का चयन कर खरीदा जिसकी कीमत विकेता को नगद राशि देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा व चयन शुदा 250–250 ग्राम के 8 नग कुल मात्रा 2 किलोग्राम **खजूर सलेक्ट लजीज ब्राण्ड (Dates Select Lazeez Brand)** 250–250 ग्राम को बराबर–बराबर (एक भाग 500 ग्राम) को कागज के गत्ते डिब्बे में 2–2 पैकेट रखकर, डिब्बों के ढक्कन को एयर टाईट बन्द किया एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–3010 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–3010 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक द्वारा मौके पर श्री मूलचन्द चेलानी पुत्र स्व. श्री होतचन्द चेलानी से **खजूर सलेक्ट लजीज ब्राण्ड (Dates Select Lazeez Brand)** खरीद बिल मांगा गया तो श्री मूलचन्द चेलानी ने मौके पर कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने श्री मूलचन्द चेलानी पुत्र स्व. श्री होतचन्द चेलानी द्वारा मौके पर **खजूर सलेक्ट लजीज ब्राण्ड (Dates Select Lazeez Brand)** का खरीद बिल प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त खाद्य पदार्थ का खरीद बिल मंगवाने बाबत पत्र प्रेषित किया जिसका जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2022/248 दिनांक 02.02.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/164/एक्ट/. 2022/198 दिनांक 25.01.2022 के अनुसार विकेता से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु कय किया गया **खजूर सलेक्ट लजीज ब्राण्ड (Dates Select Lazeez Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का **खजूर सलेक्ट लजीज ब्राण्ड (Dates Select Lazeez Brand)** विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की दण्डनीय धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी उपस्थित हुआ एवं अपना जुर्म स्वीकार किया। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **खजूर सलेक्ट लजीज ब्राण्ड (Dates Select Lazeez Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में स्तर **मिथ्याछाप (Mis-Branded)**का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सलेक्ट लजीज ब्राण्ड (Dates Select Lazeez Brand)** नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) तथा धारा 52 के अन्तर्गत अपराध व जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री मूलचन्द चेलानी पुत्र स्व. श्री होतचन्द चेलानी एफ.बी.ओ. मैसर्स लक्ष्मी प्रोविजन स्टोर मुख्य डाकघर के पास सवाई माधोपुर रोड़ टोंक जिला टोंक पर शास्ति रूपये 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 05.05.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक